राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

आदेश

एकल पीठ दाण्डिक निगरानी याचिका संख्या11/2011
किशन गोपाल बनाम राजस्थान राज्य।

आदेश दिनांक:28/2/2011

माननीय न्यायाधिपति श्री सज्जनसिंह कोठारी

श्री प्रवीण जैन एवं मि.रेखा अरोड़ा अधिवक्तागण वास्ते प्रार्थी उपस्थित।
श्री लक्ष्मण मीणा लोक अभियोजक वास्ते राजस्थान राज्य उपस्थित।

न्यायालय द्वारा-

प्रार्थी की ओर से यह दाण्डिक निगरानी याचिका धारा 53 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एंव संरक्षण) अधिनियम 2000 (जिसे आगे केवल अधिनियम लिखा जावेगा) के अन्तर्गत अध्यक्ष, किशोर न्याय बोर्ड, बून्दी के आदेश दिनांक 13/11/2010 तथा इसके विरुद्व धारा 52 अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील में विद्वान सैशन न्यायाधीश, बून्दी के निर्णय दिनांक 22/11/2010 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है।

प्रार्थी के विरुद्व धारा 363, 366, 376 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विचाराधीन है जो बालिका पिंकी आयु 13 वर्ष के पिता किशनलाल रैगर द्वारा दिनांक 7/4/10 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, नैनवां के समक्ष प्रस्तुत परिवाद में पुलिस द्वारा किये अनुसंधान के पश्चात दर्ज हुआ। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि धारा 12 अधिनियम के अनुसार अपराध की गम्भीरता के आधार पर जमानत आवेदन अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। बाल अपचारी का आवेदन धारा 12 अधिनियम में उल्लिखित केवल तीन शर्तो के आधार पर अस्वीकृत किया जाता सकता है जो हस्तगत मामले में विद्यमान नहीं है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में विधि दृष्टान्त दिनेश बनाम राजस्थान राज्य 2008 (1)R.Cr.D.148 (Raj.) एवं विक्रमसिंह बनाम राजस्थान राज्य 2009(3) R.Cr.D.195 (Raj.) प्रस्तुत किये गये।

विद्वान लोक अभियोजक ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी अस्वीकृत करने की प्रार्थना की।

मैंने उक्त तर्कों पर विचार कर आक्षेपित आदेशों का अवलोकन किया और प्रस्तुत विधि दृष्टान्तों को भी देखा।

धारा 12 अधिनियम में स्पष्टत: यह प्रावधित है कि यदि किशोर को गिरफतार किया जाता है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता या तत्समय प्रवृत विधि में किसी भी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी ऐसे किशोर को जमानत पर छोड़ दिया जाए। केवल उसी स्थिति में नहीं छोड़ा जायेगा जब यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार हो कि वह किसी ज्ञात अपराधी के साहचर्य में आ जायेगा या उसे नैतिक, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो या उसकी निर्मुक्ति से न्याय का उददेश्य विफल होता हो। इससे स्पष्ट है कि अपराध की गम्भीरता जमानत अस्वीकृत करने का आधार नहीं हो सकता।

अध्यक्ष, किशोर न्याय बोर्ड, बून्दी द्वारा प्रार्थी की जमानत का आवेदन यह उल्लेख करते हुए अस्वीकृत किया गया है कि ऐसे अपराधों में बाल अपचारी को यदि जमानत की सुविधा का लाभ दिया जाता है तो इस आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह बाल अपचारी पुन: अपराध की पुनरावृत्ति कर सकता है व आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के सम्पर्क में आकर अन्य कोई अपराध भी घटित कर सकता है जिससे उसके आगामी जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अत: बाल अपचारी के हितों को ध्यान में रखते हुए उसे सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसके विरुद्व प्रस्तुत अपील में विद्वान सैशन न्यायाधीश, बून्दी ने यह उल्लेख करते हुए अपील अस्वीकृत की है कि प्रार्थी को जमानत पर स्वतन्त्र करने पर उसके जीवन को शारीरिक खतरे की आशंका है और उसकी मानसिकता भी प्रतिकूल रुप से प्रभावित होना सम्भाव्य है, अत: उक्त अधिनियम की धारा 12 में अन्तर्विष्ट व उपदर्शित विशिष्ट परिस्थितियों पर युक्तियुक्त विचार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है।

मैं अनुभव करता हूं कि अभिलेख पर ऐसा कोई भी तथ्य विद्यमान नहीं है जिससे यह माना जा सके कि बाल अपचारी को जमानत पर रिहा किये जाने से वह अपराध की पुनरावृत्ति कर सकता है या आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के सम्पर्क में आकर अन्य कोई अपराध घटित कर सकता है जिससे उसके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। धारा 12 अधिनियम में जमानत स्वीकृत करने के जो तीन कारण लिखे हैं उन तीनों में से एक भी कारण यहां विद्यमान होने की स्थिति अभिलेख पर नहीं है। इस संबंध में सुस्थापित विधि तथा प्रस्तुत किये उक्त विधि दृष्टान्तों से यह मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि सामान्यत: प्रार्थी की जमानत स्वीकार की जानी चाहिये।

उक्त स्थिति में अध्यक्ष, किशोर न्याय बोर्ड, बून्दी के आदेश दिनांक

13/11/2010 तथा विद्वान सैशन न्यायाधीश, बून्दी के निर्णय दिनांक 22/11/2010 को अपास्त कर यह दाण्डिक निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता किशन गोपाल उसके मामा श्योजी के माध्यम से 20,000/- रुपये की जमानत व इसी राशि का बन्ध पत्र अध्यक्ष, किशोर न्याय बोर्ड, बून्दी के संतोषप्रद इस आशय का प्रस्तुत कर दे कि विचारण के दौरान वह अन्वीक्षा न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर और न्यायालय द्वारा बुलाये जाने पर उपस्थित होता रहेगा तथा उसके संरक्षक उसका पूरा ध्यान रखते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि वह किन्हीं भी आदतन अपराधियों के सम्पर्क में आकर आरोपित प्रकृति के अपराध में लिप्त नहीं होगा तो उसके विरुद्व विचाराधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 116/2010 पुलिस थाना नैनवां, जिला बून्दी से संबंधित प्रकरण में, यदि वह अन्य किसी मामले में वांछित न हो तो उसे अविलम्ब उपरोक्तानुसार जमानत पर स्वतन्त्र कर दिया जावे।

उक्त अनुसार यह दाण्डिक निगरानी याचिका निस्तारित की जाती है।

(सज्जनसिंह कोठारी)
न्यायाधिपति

/राम/